



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह के खिलाफ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को मिली बड़ी सफलता, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने आरोपियों की जमानत

याचिकाएं की खारिज

प्रेस विज्ञप्ति (79/26, दिनांक 09.10.2026)

मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (MPSTSF), इकाई इंदौर द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 3951/02 दिनांक 19-08-2026 में दो मुख्य आरोपियों - रोनक जुनेजा एवं रोहन गौड़ - की जमानत याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, पीठ इंदौर ने खारिज कर दिया है।

दिनांक 19 अगस्त 2026 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन इमली चौराहा, इंदौर से आरोपी रोहन गौड़ एवं केशव शर्मा को पकड़ा था। आरोपी रोहन गौड़ के कब्जे से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में उल्लेखित विभिन्न प्रजातियों के 30 नग दुर्लभ जीवित कछुए (इंडियन स्टार टॉरटॉयज, इंडियन रूफ्ड टर्टल, स्पॉटेड पोंड टर्टल आदि), मोटरसाइकिल एवं 3 मोबाइल फोन जब्त कर गिरफ्तार किया गया था। आगे की विवेचना एवं पूछताछ के आधार पर कनाड़िया रोड स्थित परिसर में आरोपी रोनक जुनेजा की पेट शॉप से अनुसूची-1 का 1 अन्य कछुआ एवं अनुसूची-2 का 1 जीवित 'रोज-रिंग्ड पैराकीट' पक्षी भी जब्त किया गया। प्रकरण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 48(ए), 49(बी), 51 एवं 52 के तहत विवेचना जारी है।

एसटीएसएफ द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखे गए पुख्ता सबूतों एवं डिजिटल साक्ष्यों व वित्तीय लेनदेन के दस्तावेज एवं प्रमाण भी एकत्र किए गए हैं, जो एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

दिनांक 07 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान, अपराध की गंभीरता, दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की बड़ी संख्या में जप्ती एवं अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने आरोपी रोनक जुनेजा की अग्रिम जमानत याचिका (MCRC No. 46077/2026) तथा आरोपी रोहन गौड़ की नियमित जमानत याचिका (MCRC No. 48897/2026) को खारिज कर दिया।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स वन्यजीवों के अवैध व्यापार एवं तस्करी के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई और प्रतिबद्धता जारी रखेगी।

अधिकृत अधिकारी

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष- एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल